सराहनीय कार्य
इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 04.09.2023

बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जिंदा कारतूस किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना सहसों पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक17.08.2023 को वादी मनोज दोहरे ने थाना सहसों पर लिखित तहरीरी सूचना दी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ग्राम सोने का पुरा मे अधिष्ठापित डॉ भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है जिसके संबंध मे तत्काल **थाना सहसों पर मु0अ0सं039/23 धारा 295 भादवि** पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे आज दिनांक 04.09.2023 को थाना सहसो पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर थाना सहसों पुलिस द्वारा **मु0अ0सं0 39/23** से संबंधित **प्रकाश मे आये अभियुक्त छोटू उर्फ जीतू तोमर पुत्र हरनाथ सिंह को बहाराय का पुरा तिराहे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस सहित समय 12.25 बजे गिरफ्तार किया गया।**

बरामद मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध मे थाना सहसों पर मु0अ0सं0 43/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

छोटू उर्फ जीतू तोमर पुत्र हरनाथ सिंह निवासी ग्राम छूंछरी थाना फूफ जनपद भिण्ड उम्र 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 39/23 धारा 295 भादवि थाना सहसों जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 43/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सहसों जनपद इटावा

बरामदगीः-

1. **01 तमंचा 315 बोर**
2. **02 जिन्दा कारतूस 315 बोर**
3. **01 मोटरसाइकिल MP 30 MR 2462 (एमवी एक्ट मे सीज)**

पुलिस टीमः- निरी0 श्री राजीव कुमार प्रभारी थाना सहसों , उ0नि0 राजेश कुमार, उ0नि0 अविनाश कुमार, हे0का0 रामकुमार, का0 राहूल कुमार।